सांसद मन्नालाल रावत ने मध्य प्रदेश के मजदूरों की व्यथा सुनी

रावत ने अधिकारियों को मजदूरों का भुगतान दिलवाने के निर्देश दिए

उदयपुर, (निसं)। मध्यप्रदेश से आए मजदूरों को उनकी मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं मिलने और कलेक्ट्री के बाहर पुलिस द्वारा उनको खदेड़ने के मामले में संज्ञान लेते हुए सांसद मन्नालाल रावत गुरुवार को सभी मजदूरों से मिले और उनकी बात सुनी। बाद में उन्होंने इस मामले में वन विभाग के रेंजर से लेकर डीएफओ तक के अधिकारियों से मौके पर ही बात कर जल्दी मजदूरों को उनका वाजिब भुगतान दिलाने के निर्देश दिए।

जानकारी के अनुसार सांसद रावत दोपहर में गांधी ग्राउंड पहुंचे जहां बाहर इन मजदूरों से बुधवार से डेरा डाल रखा है। करीब डेढ़ सौ मजदूरों में कई महिलाएं और बच्चे भी हैं, जिनसे सांसद ने सबसे पहले उनके खाने और रहने की व्यवस्था के बारे में पूछा। सारे लोगों को निगम के रैन बसेरा के हॉल में एकत्र कर उनसे पूरे मामले के बारे में पूछा। मजदूरों की ओर से लालजी ने बताया कि ठेकेदार ने उनको 70 रुपए प्रति खड्डा खोदने तथा नाडी बनाने के लिए बुलवाया।

सांसद मन्नालाल रावत ने मजदूरों से बातचीत की।

इस पर करीब 186 लोग पहुंचे और परसाद व अन्य जगहों पर खड्डों की खुदाई व नाडी बनाने का काम किया। जब भुगतान का समय आया तो ठेकेदार बदल गया और उसने 25 रुपए प्रति खड्डे के हिसाब से ही भुगतान की बात कही। सांसद ने जब मजदूरों ने एग्रीमेंट लिखित में होने की बात पूछी तो उन्होंने मना कर दिया। सांसद ने मजदूरों के सामने ही मामले से जुड़े रेंजर से फोन पर बात की और बाद में डीएफओ मुकेश सैनी से भी मामले की जानकारी लेकर मामले को जल्दी निबटाकर मजदूरों को भुगतान दिलाने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि डेढ सौ से ज्यादा मजदूर चार दिन से इधर-उधर भटक रहे हैं। उनके रहने खाने की भी दिक्कत है। महिलाएं और बच्चे भी है इसलिए इनका वाजिब भुगतान दिलवाकर इनके गांव रवाना करें।

मजदूरों की मांग पर सांसद रावत कुछ मजदूरों को लेकर डीएफओ मुकेश सैनी के चेतक सर्कल स्थित ऑफिस भी पहुंचे। वहां मजदूरों व डीएफओ की आमने-सामने बात करवाई। डीएफओ ने कहा कि सरकारी नियमानुसार जो भी भुगतान बन रहा है वो उनको दिलवा देंगे और नगद भुगतान की बजाए प्रत्येक मजदूर के खाते में भुगतान करवाया जाएगा ताकि बाद में कोई विवाद नहीं हो। करीब दो घंटे तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत करवाने के बाद सांसद ने मजदूरों को आश्वासन दिया कि उनका भुगतान हो जाएगा। साथ ही खदेड़ने वाले पुलिसकर्मियों को लेकर वे पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे। बीमार महिलाओं और बच्चों के इलाज के लिए सीएमएचओ को निर्देश दिए।

- मजदूरों को लेकर डीएफओ ने कहा कि सबको नियमानुसार खाते में भुगतान मिलेगा

वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं : शेखावत

जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे, एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात की

जोधपुर, (कासं)। केंद्रीय संस्कृति मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के दक्षिण भारत में परिसीमन के बाद कम होने वाली सीटों को लेकर दिये बयान पर कहा कि वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका उनका सारा विषय एप्रेंशन और वहम के बेस हैं। कुछ लोग वहम के कारण से ऐसा करते हैं। कुछ लोग इस तरह के वहां से इस तरह का पॉलिटिकल लाभ पाने की कोशिश करते हैं। अब देखने का विषय की स्टालिन कौन से ब्रैकेट में खड़े हैं।

तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के नेतृत्व में बुधवार को जनगणना आधारित परिसीमन और ट्रायल लैंग्वेज वार पर सर्वदलीय बैठक भी हुई। उन्होंने कहा कि यदि संसद में सीटें बढ़ती है तो 1971 की जनगणना को आधार बनाना चाहिए। शेखावत ने बीकानेर जिले के करणी माता मंदिर में प्रसाद योजना के तहत 22.57 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर जानकारी दी।

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के दक्षिण भारत में परिसीमन के बाद कम होने वाली सीटों को लेकर दिये बयान पर बात की
- शेखावत ने करणी माता मंदिर में करवाए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर जानकारी दी

कहा पर्यटन क्षेत्रों के विकास और भारत में धार्मिक पर्यटन के महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसाद योजना को लागू किया था। करणी माता मंदिर उनके ही नहीं देशवासियों के लिए आस्था का विषय है। वहां दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के अनुभव में सुधार किया जाए, उनके लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा सके। इसके लिए राजस्थान सरकार ने प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया था। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने इसको लेकर मंत्रालय से आग्रह किया था। उनके आग्रह पर स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे करणी माता मंदिर में विकास कार्य करवाए जाएंगे। राजस्थान सरकार और भी मंदिरों को लेकर प्रस्ताव भेजेगी तो आने वाले वर्षों में और प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस तरह की शादियों से शहर और अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा लाभ होता है। निश्चित रूप से इस तरह की बड़ी शादियों से राजस्थान की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। महाराष्ट्र के सपा नेता अबू आजमी के बयान को लेकर कहा कि उनके बयान का उचित जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में दे दिया है।

सपा नेता अब्बू आजमी ने 3 मार्च को महाराष्ट्र विधानसभा में कहा था कि हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। इस बयान को लेकर बीजेपी ने विरोध करना शुरू कर दिया था।

नांदवेल सरपंच पर फायरिंग करने के आरोपी को गिरफ्तार किया

उदयपुर, (निसं)। नांदवेल सरपंच देवीलाल डांगी पर फायरिंग करने के आरोपी को डबोक थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी हुकम सिंह ने बताया कि नांदवेल सरपंच देवीलाल डांगी पर फायरिंग करने के आरोपी पीयूष राजपूत पिता मिथलेश निवासी बड़गांव को डबोक थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी पीयूष राजपूत पेशे से वकील है और उदयपुर कोर्ट में बीते सात से वकालात कर रहा है। प्रॉपर्टी विवाद के चलते इसने अपने साथी के साथ मिलकर सरपंच पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। सरपंच मावली विधायक पुष्कर डांगी का भांजा है।

- प्रॉपर्टी विवाद के चलते सरपंच पर फायरिंग की थी, फायरिंग का आरोपी पेशे से वकील बताया जा रहा है

आरोपी पीयूष ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसके पिता मिथलेश ने सुरेश सालवी नाम के व्यक्ति से जमीन लेने की बात पक्की की थी। लेकिन नांदवेल सरपंच ने भी उसी जमीन को लेने के लिए सुरेश सालवी से सम्पर्क किया। सरपंच ने हमें जमीन नहीं लेने दी और खुद का लिखित सौदा कर लिया। पीयूष ने पुलिस को बताया कि इस बात से पिताजी परेशान थे जिसे लेकर उसने सरपंच पर फायरिंग की योजना बनाई। इसके लिए उसने किसी से देसी कट्टा खरीदा था। मामले में इसका दूसरा साथी फरार है जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की थी। आरोपी पीयूष ने घटना को अंजाम देने से पहले अपना मोबाइल किसी परिचित के होटल पर रख दिया था, ताकि पुलिस मोबाइल लोकेशन से उसे ट्रेस नहीं कर पाए। उल्लेखनीय है कि मंगलवार रात करीब 10 बजे जब सरपंच देवीलाल डांगी कार से अपने घर पहुंचे थे। जैसे ही कार से उतरकर बाहर निकले, तभी उनके पर फायरिंग कर दी। गोली उनके जांघ पर लगकर आर-पार निकल गई।उनके चिल्लाने पर बदमाश वहां से भाग गए। उनकी आवाज सुनकर परिजन घर से बाहर आए और घायल सरपंच को हॉस्पिटल लेकर गए।

सरपंच का कहना है कि वे जब घर पहुंचे थे तब दो युवक पास की टंकी पर पानी पी रहे थे मुझे घटना का अंदाजा नहीं था। गाड़ी से बाहर निकलते ही उन्होंने फायरिंग कर दी। थानाधिकारी हुकम सिंह ने बताया कि घटना में लिप्त दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। वहीं गिरफ्तार आरोपी ने देसी कट्टा कहां और किससे खरीदा, इसका पता लगाया जाएगा। साथ ही जमीन बेचने वाले सुरेश सालवी की इस मामले में क्या भूमिका रही है इस संबंध में सुरेश से भी पूछताछ की जाएगी।

18 लाख की शराब तस्करी के मुख्य आरोपी अजमेर से गिरफ्तार

पांच हजार के इनामी सहित दो जनों को गिरफ्तार किया

डूंगरपुर, (निसं)। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने 18 लाख की शराब तस्करी के मुख्य आरोपी सहित दो तस्करों को अजमेर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर से पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान निर्मित अवैध शराब बरामद की थी। 5 हजार का इनामी आरोपी टॉप 10 वांछित था।

- पुलिस ने राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर से पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान निर्मित अवैध शराब बरामद की थी

बिछीवाड़ा थानाधिकारी ने बताया कि 10 फरवरी को राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर एक कंटेनर पकड़ा गया था। कंटेनर की तलाशी में 18 लाख रुपए की अवैध शराब मिली थी, जिसमें चंडीगढ़, पंजाब के साथ ही राजस्थान निर्मित शराब के 249 कार्टन शराब भरे हुये थे।

पुलिस ने मौके से हेमसिंह उर्फ हेमू रावत पुत्र मोतीसिंह रावत निवासी गुडा जिला ब्यावर को गिरफ्तार किया था। पुलिस मामले में शराब तस्करों की कड़ी जोड़ रही थी। थानाधिकारी ने बताया कि शराब को मुख्य तस्कर दुर्गेश उर्फ दुर्गासिंह पुत्र लालसिंह रावत राजपूत निवासी बड़ी समेल जिला ब्यावर और अशोक पुत्र फतेहसिंह रावत राजपूत निवासी मोडा काकर जिला राजसमंद को नामजद कर तलाश की जा रही थी, मुख्य तस्कर दुर्गेश उर्फ दुर्गासिंह टॉप 10 आरोपी होने से उस पर पांच हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस को दोनों तस्करों के अजमेर में होने का पता लगा, जिस पर पुलिस टीम अजमेर पहुंची, जहां से दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस शराब तस्करी को लेकर दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं गुजरात में शराब तस्करों से भी तार जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

'दुराचरण व लापरवाही के आरोपों से घिरे टीचर्स की बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी नहीं लगेगी'

बीकानेर, (निसं)। प्रदेश में गुरुवार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम शुरू हो गए हैं। इन परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने दुराचरण और लापरवाही के आरोपों से घिरे टीचर्स की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। उप निदेशक (माध्यमिक) रमेश कुमार हर्ष ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

- उप निदेशक (माध्यमिक) रमेश कुमार हर्ष ने आदेश जारी किए

एग्जाम शुरू होने से ठीक एक दिन पहले जारी इस आदेश में कहा गया है कि ब्लैक लिस्टेड कार्मिक और जिन कार्मिकों पर विभागीय जांच प्रस्तावित है और दुराचरण और परीक्षा में लापरवाही के दोषी हैं, उन्हें बोर्ड परीक्षा के सभी कामों से दूर रखा जाएगा। अगर कोई जिला शिक्षा अधिकारी या केंद्र अधीक्षक ऐसे कार्मिकों की ड्यूटी लगाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप निदेशक हर्ष ने आदेश में बोर्ड परीक्षा के दौरान स्कूल की अन्य परीक्षाओं के बाधित नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं। जिन स्कूलों से टीचर की वीक्षक के रूप में ड्यूटी लग रही है, वहां कुछ टीचर्स को पढ़ ाने के लिए ड्यूटी से मुक्त रखना पड़ेगा। वीक्षक ड्यूटी को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के निर्देशों की पालना करने के आदेश दिए गए हैं। एग्जाम के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही करने पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को पाबंद किया गया है।

शातिर नकबजन गिरफ्तार

जयपुर। करधनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकबजनी की वारदात करने वाले एक शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि उसके खिलाफ करधनी थाना क्षेत्र एवं आसपास के इलाकों में दो दर्जन से अधिक चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि करधनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकबजनी की वारदात करने वाले एक शातिर नकबजन अशोक नायक उर्फ बाबू उर्फ गिण्डिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

स्मैक सहित एक गिरफ्तार

टोंक, (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन जिले मे चलाये जा रहे अभियान अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के तहत वृत्ताधिकारी मालपुरा आशीष प्रजापत के सुपरविजन में थानाधिकारी टोडारायसिंह हरिराम द्वारा गठित टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु कस्बा टोडारायसिंह में कार्यवाही करते हुए आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र महावीर निवासी वार्ड नं. 06 कस्बा टोडारायसिंह अवैध मादक पदार्थ 6.75 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

अवैध शराब बरामद, आरोपी फरार

उदयपुर, (निसं)। आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर अंकुश लगाने हेतु जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत आबकारी निरोधक दल द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध शराब जब्त करते हुए अभियोग दर्ज किए गए।

आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत आबकारी निरोधक दल शहर व ग्रामीण द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गश्त व दबिश के तहत एक कार से 6 कार्टन में 288 आरएमल देशी शराब एवं 18 बीयर बोतल राज्य में बिक्री योग्य बिना परमिट बरामद किया। अभियुक्त भागने में सफल रहा, फरार अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग दर्ज किया गया। इसी क्रम में आबकारी थाना उदयपुर शहर के अन्तर्गत रेलवे स्टेशन उदयपुर में रेल के साधारण श्रेणी के डिब्बे से एक प्लास्टिक बेग में रखे हुए 96 पव्वे अंग्रेजी शराब सेल फॉर मध्यप्रदेश लावारिस अवस्था में बरामद किये। इस संबंध में नियमानुसार

आबकारी निरोधक दल ने अवैध शराब जब्त की।

अभियोग दर्ज कर कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रदीप सिंह सांगावत, आबकारी उपायुक्त प्रद्युम्न सिंह एवं जिला आबकारी अधिकारी आदराम के निर्देशन में आबकारी निरोधक दल प्रहराधिकारी अनिल कुमार द्वारा मय जाब्ता की गई।

बिजयनगर ब्लैकमेल कांड मामले में स्टे

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर के बिजयनगर ब्लैकमेल कांड के पांच आरोपियों के परिजनों की संपत्ति तोड़ने पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए मामले की सुनवाई 11 मार्च को तय की है। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश शाकीर व चार अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में सैयद सआदत अली ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं के घर के युवाओं को पुलिस ने कथित रूप से हुए ब्लैकमेल कांड में फंसाया है। अभी सभी आरोपी गिरफ्तार व न्यायिक अभिरक्षा में हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं के घर नोटिस चस्पा कर कब्जा हटाने की चेतावनी दी है। याचिका में कहा गया कि यह संपत्ति मामले में गिरफ्तार किए गए युवाओं की ना होकर याचिकाकर्ताओं की है। ऐसे में उसकी संपत्ति पर कार्रवाई करना विधि विरुद्ध है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के घर पर चस्पा किए गए नोटिस ब्लैकमेल कांड में पकड़े गए युवाओं के नाम से है और उनका इन संपत्तियों पर किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है।

दो समुदायों में कहासुनी के बाद झगड़ा, आधा दर्जन लोग घायल

पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया

चाकसू, (निसं)। चाकसू कस्बे के वार्ड नंबर पांच स्थित दरीबों के मोहल्ले में बीती देर रात दो समुदायों के बीच कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। झगड़े में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें

- समुदाय विशेष के युवकों पर गाली-गलौज करने व हमला करने का आरोप

उपचार के लिए स्थानीय उप जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से दो गंभीर घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया। सूचना पर चाकसू व शिवदासपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया।

पुलिस ने मौके पर जाकर लोगों से समझाइस की।

जानकारी के मुताबिक, समुदाय विशेष के कुछ युवकों द्वारा मोहल्ले में उत्पात मचाने पर दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो बढ़ते-बढ़ते झगड़े में बदल गई। विवाद बढ़ने पर समुदाय विशेष के 40-50 लोग वहां पहुंचे और दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। झगड़े में एक पक्ष ने आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को तितर-बितर किया। झगड़े के बाद समुदाय विशेष के युवक वहां से फरार हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 2 जनों को गंभीर हालत में रेफर किया। देर रात तक पीड़ित पक्ष के लोग मौके पर जमा रहे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस के मुताबिक, इलाके में फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। पीड़ित पक्ष के कैलाश गुर्जर ने 4 नामजद समेत 40-50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

सूने मकानों में चोरी करने के मामले में युवक गिरफ्तार

सांभरझील, (निसं)। सूने मकानों में चोरी करने के मामले में सांभर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किए गए पीतल के बर्तन भी बरामद किए हैं।

थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार यादव ने बताया कि वह दिन में कई दिनो तक सूने पड़े मकानों की रैकी करता था, फिर रात्रि मे मकानों मे घुसकर पुराने बर्तन, लोहे का सामान व अन्य सामान जो भी मिलता था उनको चोरी कर ले जाता था।

युवक शराब, गांजा पीने का का आदी है एवं मौज मस्ती व नशे का शौक पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम देता है। थाना सांभरलेक पर दर्ज प्रकरण में अज्ञात चोरों को गिरफ्तार करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू शिवलाल बैरवा के निर्देशन में पुलिस उप अधीक्षक अनुपम मिश्रा के सुपरविजन में तथा थानाधिकारी सांभरलेक राजेन्द्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर, गठित टीम

सांभर पुलिस ने चोरी के मामले में युवक को गिरफ्तार किया।

द्वारा आसूचना संकलन व तकनीकी सहायता द्वारा वारदात करने वाले अज्ञात आरोपी का पता लगाकर उसे दबिश देकर महज 48 घण्टे में गिरफ्तार किया गया।

- पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए पीतल के बर्तन बरामद किए
- आरोपी युवक शराब, गांजा पीने का आदी है एवं मौज मस्ती व नशे का शौक पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देता था

आरोपी के कब्जे से चोरी किया हुआ माल पुराने इस्तेमाल किये पीतल के बर्तनों को भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी गुलफाम खान पुत्र अब्दूल गफारनिवासी शहीद पूनम चन्द मार्ग, बरडौती मौहल्ला सांभरलेक का ही रहने वाला है।